13.01.025

मु. नं. 10 / 2018 टीपूदेवी बनाम मांगीलाल

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 14,19,22,26 की रजि.एडी. ऑन लाईन डिलवरी रिपोर्ट पेश की संलग्न पत्रावली हो। अप्रार्थी संख्या 14,19,22,26 को बार बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 9,10,11,23 व 24 को दिनांक 04.07.2022 से कई बार जवाब हेतु अवसर दिये गये कोई जवाब पेश नही किया। अतः न्यायहित में अप्रार्थी संख्या 9.10.11.23 व 24 का जवाब बंद किया जाता है।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा डूंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 1673, 1674, 1675, 1676 / 3033, 1683 / 3034 एवं 1684 कुल रकबा 10.38 हैक्टयर भूमि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी पैतृक भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीया का पीढीयों से निरतर कब्जा चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थीया के पिता रूपाराम के फौत होने पर उनके पुत्रों मांगीलाल, मोहनलाल, चदुलाल,पवनराज ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अकेले पुत्रो का नाम राजस्व रेकर्ड में उत्तराधिकारी के तौर पर दर्ज करवा दिया जब की पुत्रियों का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही करवाया। प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने से अप्रार्थीगण प्रार्थीया को बेदखल करने की धमकियां दे रहे है। जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी प्रस्थितियों में वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश फरमावे।

हमनें वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया के पक्ष तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा डूंगरा का गोलिया पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 1673, 1674, 1675, 1676 / 3033, 1683 / 3034 एवं 1684 कुल रकबा 10.38 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं [illegible] कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.22 16:20:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner